कार्यालय वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर सामान्य वनमंडल बुरहानपुर म.प्र.

कमांक/मा.चि./2017/ 567 बुरहानपुर दिनांक / 1 MAR 2017

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

जल संसाधन संभाग,

बुरहानपुर

विषय :— भावसा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना के वन प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ :— मुख्य वनसंरक्षक खंडवा वृत्त खंडवा का पत्र क्र./ मा.चि./1100 दिनांक 08.02.2017

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, का अवलोकन करें तथा वरिष्ठ द्वारा पार्ट 02 में बिन्दुवार आपत्तियां ली गई है, जो आपसे संबंधित है।

1. प्रकरण में कुछ जगह प्रभावित वन क्षेत्र 274.04 एवं कुछ जगह 275.04 हे. अंकित किया गया है, अतः वास्तविक स्थिति से अवगत करावें तथा ऑनलाईन प्रविष्टि भी सही सही करावें।

2. कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आपको तह. बहोरीबंद ग्राम केवलारी खसरा क्र. 130/01 रकबा 69.680 हे. गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसके संबंध में आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत नहीं की है। मुख्य वनसंरक्षक जबलपुर द्वारा अनुमोदित योजना को ऑनलाईन प्रविष्टि किया जाना होता है साथ ही योजना की राशि का भी उल्लेखन ऑनलाईन किया जाना होता है, जो नहीं हो पा रहा है।

3. ग्राम मोहद एवं चांदगढ के खसरों एवं रकबो की सही सही ऑनलाईन प्रविष्टि प्रपत्र 01 (आवेदक विभाग) एवं 02 में किया जाना है।

4. वनसंरक्षक, सा. वनमंडल कटनी द्वारा उनके पत्र क्र./मा.चि./1167 दिनांक 23.02.2017 जो आपको संबोधित है कि छायाप्रति संलग्न है, जिसके अनुसार उनके द्वारा 43.272 हे. भूमि ही शेष बताई गई है, जो पूर्व में आवंटित 69.680 हे. से कम है। अतः शेष भूमि की पूर्ति कहां से व कैसे की जावेगी यह बतावें ?

5. 69.680 में से 26.408 हे. शेष बची गैर वन भूमि का मानचित्र, जी.पी.एस. रिडिंग, क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र, टोपो शीट आदि समस्त दस्तावेज फार्म नं. 01 में पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं की पूर्ति ऑनलाईन कर हार्ड कॉपी इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

वनमंडलाधिकारी
बुरहानपुर वनमंडल सा. बुरहानपुर

पृष्ठा. क्र./मा.चि./2017/ बुरहानपुर दिनांक

प्रतिलिपि :— मुख्य वनसंरक्षक खंडवा वृत्त खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
बुरहानपुर वनमंडल सा. बुरहानपुर

कार्यालय सामान्य वन मंडल,कटनी

फोन नं. 07622–227417 (कार्या.), 223139 (निवास), 220700 (फैक्स), मोबा. नं.–9424792725
Email-dfotkatn@mp.gov.in

क्रमांक / मानचित्रकार / 1167 कटनी, दिनांक / 23-2-17

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
बुरहानपुर

विषय : भावसा मध्यम जलाशय परियोजना के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि का वन विभाग को हस्तांतरण बावत्।

संदर्भ : वनमण्डलाधिकारी, बुरहानपुर का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2017 / 451 दिनांक 15.02.2017 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मानचित्रकार / 4705 दिनांक 05.07.2016 एवं 6699 दिनांक 21.11.2016.

विषयाकिंत में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत ग्राम केवलारी खसरा नंबर 130 की अवशेष एवं उपयुक्त भूमि की जानकारी संबंधी प्रतिवेदन संयुक्त रूप से चाहा गया था। ग्राम केवलारी खसरा नंबर 130 रकवा 225.62 हे0 में से कटनी वनमंडल के अंतर्गत पूर्व में निम्नानुसार वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में व्यपवर्तित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित एवं कुछ स्थलों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण व क्षेत्र तैयारी का कार्य भी किया जा चुका है।

क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया रकवा (हे.)	कलेक्टर जिला कटनी का वन विभाग को नामांतरण एवं हस्तांतरण आदेश क्रमांक / दिनांक
01	बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 07 मार्गो हेतु	केवलारी	130	16.080	रा.प्र.क्र. / 13 / अ–59 / 2009–10 दिनांक 20.10.2010
02	खारक जलाशय			65.144	रा.प्र.क्र. / 23 / अ–19 / 2011–12 दिनांक 05.03.2012
03	इन्द्रा सागर नहर परियोजना			69.820	
04	अंजनडोह तालाब			4.900	रा.प्र.क्र. / 43 / अ–19 / 2012–13 दिनांक 05.09.2013
05	1. बैतूल जिले का तवा टू माइन्स 2. अखिल भारतीय चन्द्रवंशी खाती समाज को धर्मशाला निर्माण हेतु 3. 132 के.व्ही .एल आइ.एल.ओ. 4. 132 के.व्ही .विदिशा से गैरतगंज लाईन 5. छतरपुर जिले की खजुराहो रेल्वे लाइन हेतु उत्तर रेल्वे झांसी को उपयोग बावत्			26.404	कलेक्टर, जिला कटनी को नामांतरण एवं हस्तांतरण हेतु अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक / 03 दिनांक 03.02.2016 एवं 26 दिनांक 28.10.2016 से लेख किया गया है। उक्त भूमि में क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जा चुका है।
	कुल योग :–			182.348	

कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा बुरहानपुर जिले में भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना में उक्त खसरें की 69.68 हे0 भूमि को अपने रा.प्र.क्र. / 48 / अ–19 / 2012–13 दिनांक 09.09.2013 से वन विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी आदेश दिया गया है, परन्तु उक्त आदेश इस कार्यालय को उनके पत्र क्रमांक / 7051 दिनांक 05.07.2016 से प्रेषित किया गया है, ऐसी स्थिति में पूर्व से ही खसरा नंबर 130 में 182.348 हेक्टर भूमि विभिन्न परियोजनाओं सम्मिलित की जाकर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं क्षेत्र तैयारी कार्य कराया जा चुका है, खसरें के रकवें अनुसार 43.272 हे0 भूमि ही शेष बचती है।

वन संरक्षक
सामान्य वन मंडल कटनी

D:\Office Data (D.M. Section)\2017\DM Letter-Conserning Office.doc49

पृष्ठांकन क्रमांक/मानचित्रकार/ 1168 कटनी, दिनांक/23-2-17

प्रतिलिपि :– 1. कलेक्टर, जिला कटनी की ओर उनके उपरोक्तानुसार आदेश एवं इस कार्यालय के अर्द्वशासकीय पत्र क्रमांक/03 दि. 03.02.2016 एवं 26 दिनांक 28.10.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– अर्द्वशासकीय पत्रों की छायाप्रति।

2. वनमण्डलाधिकारी, बुरहानपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

3. उप वनमंडल अधिकारी, कटनी पश्चिम एवं परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./4705, 4706 दिनांक 05.07.2016 एवं 9698, 9699 दिनांक 21.11.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, चाहा गया प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र तीन दिवस के अंदर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक
सामान्य वन मंडल कटनी

D:\Office Data (D.M. Section)\2017\DM_Letter Conserning Office.doc50